

दावा बाबत घोषणा खातदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा


04.06.2019 यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका वकील के जरिए पेश हुआ, दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.07.2019 को पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

श्री ~~प्रस्तुत/पीएमएन अधिकारी~~
~~पर / अन्य कार्य में व्यस्त है।~~
पत्रावली दिनांक 16.07.19
को पेश हो

~~15.7.19, पत्रावली आत्रवादी के प्रार्थना पत्र पर तलव की जाकर पेश हुई वादी व वादी वकील ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निषेध किया है की जो दावा मेरे द्वारा किया गया है वह मुझे मुझे प्राप्त हो चुकी है इस प्रकार के आगे नही चलाकर नोट पेस में खारीज था है। अतः वादी का प्रार्थना - पत्र स्वीकार किया जाकर दावा इसी रजिस्ट्रार पर नोट पेस में खारीज किया जाता है पत्रावली विषय हुआ होकर दायिम होकर है।~~

Next page
A


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन